



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

मकान नम्बर - 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492 006

फोन:-0771-2444591 ईमेल:- cspraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

कमॉक/सी.जी./फार्मा/2023/72

रायपुर, दिनांक :- 17/05/2023

-: सूचना :-

विषय :- डिप्लोमा इन फार्मसी के पश्चात् पार्ट -3 (फार्मासिस्ट प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट) विधिवत् जारी किये जाने संबंधी।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डिप्लोमा इन फार्मसी छात्रों के पार्ट -1 तथा पार्ट-11 परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् पार्ट -111 अर्थात् प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट फार्म के एक से पाँच तक सभी सेक्शन विधिवत् सही-सही भरे जाने चाहिए। सेक्शन - 1 में प्रेक्टिकल कान्ट्रैक्ट फार्म जारी करने वाले संस्था प्रमुख/प्राचार्य का हस्ताक्षर तथा मुहर व जारी किये जाने का दिनांक तथा सेक्शन 5 में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग पूर्ण होने के पश्चात् संस्था प्रमुख/प्राचार्य का हस्ताक्षर, संस्था का मुहर तथा दिनांक होना आवश्यक है। सेक्शन - 1 से सेक्शन - 5 की सत्यता प्राचार्य/संस्था प्रमुख सुनिश्चित करें।

प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट फार्म के सेक्शन 2 से 4 तक में भरे जाने वाली सभी जानकारी एवम् तिथि विधिवत् भरा जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सही-सही दिनांक तथा प्रशिक्षण की अवधि 3 माह तथा न्यूनतम 500 घण्टे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण प्रारम्भ करने तथा प्रशिक्षण समाप्त करने वाले सेक्शन में प्रशिक्षक का हस्ताक्षर व मुहर तथा निर्दिष्ट स्थान पर दिनांक का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है।

सूचनार्थ।

(डॉ० शेखर वर्मा)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)